BAGHPAT POLICE

थाना रमाला साइबर टीम , जनपद बागपत

नवम्बर- 2026

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 1,463/- रूपये वापस कराये गये–



आवेदक/पीडित श्री प्रवीन पुत्र महीपाल निवासी गूंगाखेड़ी थाना रमाला जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन रुपयों की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 23106260113009 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना रमाला साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी । पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि 1463 रुपये को वापस कराया गया ।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना रमाला पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	रमाला	23106260113009	1,463 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-रि0का0 493 धीरेन्द्र इंदौलिया थाना रमाला जनपद बागपत।

3- म0का0 03 कविता थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 21-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान वांछित/चोरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है-

अवैध तमंचे में अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 01 अभियुक्त)-

ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र शब्बीर निवासी पाठशाला रोड पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

साइबर ठगी के रूपये वापस

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 1,463/- रूपये वापस कराये गये।

चोरी में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 01 अभियुक्त)-

छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 116/24 धारा 457/380 भादवि में 02 साल से वांछित चल रहे अभियुक्त आकाश पुत्र नीरज नि0 ग्राम टटीरी मेन बाजार थाना बागपत कोतवाली जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल- 01)

1-थाना छपरौली -01

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 34 व्यक्ति)

1-थाना कोतवाली बागपत से 03 व्यक्ति।
2-थाना खेकड़ा से 06 व्यक्ति।
3-थाना चांदीनगर से 01 व्यक्ति।
4-थाना बालैनी से 11 व्यक्ति।
5-थाना दोघट से 01 व्यक्ति।
6-थाना रमाला से 01 व्यक्ति।
7-थाना बिनौली से 03 व्यक्ति।
8-थाना छपरौली से 08 व्यक्ति।



BAGHPAT POLICE

थाना खेकड़ा

दिनांक 21-11-2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र शब्बीर निवासी पाठशाला रोड पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

महत्वपूर्ण सूचना: बागपत पुलिस द्वारा अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग अथवा अवैध एवं लाइसेंसी असलाह का प्रदर्शन न करे। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

baghpatpolice